[निजी प्रसार के लिए]

सी.एच.आर.आई.

अंक १०

दिसंबर २०१०

लोक पुलिस

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

मासिक पत्रिका

"कठिनाईयों को कारण बना कर कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते"

पिछले अंक में प्रस्तुत मध्यप्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण विंग में ए.आई.जी. के पद पर कार्यरत श्री विनीत कपूर से पुलिस प्रशिक्षण, सुधार व मानवाधिकार संबंधित मुद्दों पर ज़ीनत मलिक की बात–चीत का शेष अंश...

निचले स्तर पर पुलिसकर्मियों की हमेशा यह शिकायत रहती है कि उनके पास अत्यधिक काम है, अवसंरचना की कमी है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग नहीं है इसलिए कई बार उन्हें कानूनों का उल्लंघन करना पड़ता है। आप अपने जूनियर अफसरों को क्या सलाह देंगे?

मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि कार्य का अत्यधिक बोझ पुलिसकर्मियों पर कई परिस्थितियों में रहता है। साथ ही संसाधनों की कमी भी कार्य की दक्षता को तथा कार्य के परिणामों को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। इन दोनों परिस्थितियों से पुलिसकर्मियों को जूझना पड़ता है, जिससे उनके तनाव के स्तर में वृद्धि होती है। इसके कई दुष्परिणाम सामने आते हैं। पर फिर भी मेरा सहकर्मियों को यही कहना होता है कि आप अपनी कठिनाईयों को अनावश्यक कारण बना कर कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते। कई बार यह देखा गया है कि जिन गलतियों से बचा जा सकता था उसे करने के उपरांत कुछ पुलिसकर्मी संसाधनों की कमीं तथा कार्य अधिकता पर सम्पूर्ण दोष मढ़ देते हैं। सबको मालूम होता है कि मैंने कहां क्या ग़लत किया है। पुलिस की नौकरी एक विशिष्ट प्रकार की सेवा की नौकरी है जिसमें असीम निष्ठा, कर्तव्यबोध, कार्य दक्षता तथा संवेदनशीलता के गुणों का आवश्यक समावेश ज़रूरी है। वास्तव में जब तक पुलिसकर्मी अपने काम को जनसेवा के लिए ईश्वर का दिया हुआ अवसर नहीं समझेंगे तब तक वे आत्म निरीक्षण कर के अपने दायित्व को ठीक से नहीं निभा पाएंगे। यह समझना होगा कि आपको समाज सेवा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा अपने दायित्वों का उचित निर्वाह ही सर्वश्रेष्ठ समाजसेवा है।

आपके अनुसार पर्यवेक्षण की गुणवत्ता कैसी है?

यह अत्यधिक व्यक्तिपरक विषय है और हर संगठन में इसकी आवश्यकता होती है। समूचे तौर पर हर अधिकारी आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षण प्रदान करने की कोशिश करता है। फिर भी कई बार पर्यवेक्षण में कमियां रह जाती हैं। मेरा मानना है कि यह सब विभाग के अंदर की कार्य संस्कृति पर भी निर्मित होता है। सत्ताधारी कार्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी तथा उनके पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी दोनों पर भी यह निर्मित होता है कि वे कानूनी कार्य की मर्यादाओं को दृष्टिगत रखते हुये सत्ता के बोध से कार्यदक्षता को अलग रखकर काम के दौरान संपर्क में आने वाले समस्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा को ध्यान में रखकर कानूनी परिधियों के अंतर्गत काम करें। जहां पर भी एक तरफ सत्ता बोध तथा दूसरी तरफ कानून तथा कानून से जुड़े कर्तव्य बोध का आपस में संतुलन बिगड़ता है और सत्ता–बोध कानून तथा कर्तव्य के बोध की तुलना में अधिक भारी पड़ने लगता है, वहीं अधिकारों के हनन की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। इस परिवेश में निश्चित ही पर्यवेक्षणकर्ताओं की जिम्मेदारी और अधिक व्यापक होती है। पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी की नेतृत्व क्षमता का परीक्षण इसमें भी होता है कि वह सभी परिस्थितियों में पर्यवेक्षण देते समय अपने कानूनी कर्तव्य बोध को स्वयं के उदाहरण से अपने अधिनस्थों के समक्ष सर्वप्रथम प्रस्तुत कर अपने अधीनस्थों से उसी अनुसार कार्य की अपेक्षा करें।

हमारे पास कुछ बहुत अच्छे कानून, आदेश और दिशा–निर्देश हैं। इनके बारे में मुझे यह जानना है कि इन्हें थाना स्तर के अधिकारियों तक कैसे पहुंचाया जाए?

औपचारिक तथा बुनियादी प्रशिक्षण में सुदृढ़ता, इनसर्विस कोर्सेस की निरन्तरता तथा सुग्राहिता तथा कार्यस्थल के प्रशिक्षण (अर्थात ट्रेनिंग ऑन वर्क प्लेस) हेतु सुनियोजित एवं दक्षता से क्रियान्वित व्यवस्था ही इस क्षेत्र में कारगर सिद्ध हो सकती है। प्रशिक्षण के इन तीनों आयामों को रोचक, प्रशिक्षु केन्द्रित तथा उपयोगितामूलक बनाकर व्यावहारिकता के साथ व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशिक्षण पद्धति के माध्यम से पुलिस प्रशिक्षण को संचालित करने से इन मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देकर मैदानी अधिकारी तथा कर्मचारियों के नये कानूनों तथा समय समय पर जारी होने वाले महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों के प्रति ज्ञान बोध तथा जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पहलू है इन दिशा–निर्देशों के प्रभावी रूप से पालन न होने की स्थिति में इसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण तथा जहां भी क्रियान्वयन में कमी है वहां वहां इन कमियों को दूर करने हेतु संस्थागत तथा व्यक्तिगत जवाबदारियों का निर्धारण। व्यक्तिगत जवाबदारियों के निर्धारण की प्रक्रिया मूलभूत रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली में निहित रहती है, परंतु हर समय व हर जगह इसका विस्तार नये कानूनों तथा समय समय पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों के पालन के प्रति सटीकता से हो यह सामान्य कार्यसंचालन के दौरान कुछ लोगों द्वारा जरूरी नहीं समझा जाता है। इस कारण से भी इस प्रकार के प्रावधानों का क्रियान्वयन कई बार शिथिल हो जाता है। वरिष्ठ स्तर पर इस संबंध में सूक्ष्म पर्यवेक्षण आवश्यक है। इस संबंध में जहां जागरूकता जनरेशन तथा प्रशिक्षण आवश्यक है वहीं दिशा केन्द्रित कार्य मूल्यांकन तथा सूक्ष्म एवं निरंतर पर्यवेक्षण भी आवश्यक है।

मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जेन्डर संबंधित अपराध बहुत अधिक होते हैं। आपके विचार में महिला पीडितों के प्रति पुलिस का क्या रवैया है? क्या आपको लगता है कि कोई महिला बगैर किसी भय के थाने तक पहुंच कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है?

मेरा उत्तर आपके प्रश्न में ही निहित है क्योंकि जहां महिलाओं का आपराधिक न्याय प्रणाली से सामंजस्य हो और वे आपराधिक न्याय व्यवस्था तक सुलभता से पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हों वहां पर निश्चित ही आंकड़े बढ़े हुये मिलेंगे। मध्यप्रदेश में उचित संख्या में महिला थाने मौजूद हैं और आम थानों में भी महिला हेल्प डेस्क लगे हुए हैं। हम अपराधों के रजिस्ट्रेशन में विश्वास करते हैं। हमने हेल्प डेस्क को महिलाओं से संबंधित अपराधों के प्रति संवेदनशील भी बनाया है और इसका काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अपराधों की संख्या उनके प्रति पुरूष प्रधान समाज की प्रतिक्रिया है क्योंकि आज महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करने लगी हैं। आंकड़े बढ़ने के बावजूद हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इन अपराधों को दर्ज न करने के निर्देश कभी नहीं मिलते हैं। हम हर दूसरे महीने में प्रत्येक जिले में कमज़ोर वर्ग से संबंधित जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं और इसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

यदि केवल आपराधिक आंकड़ों के, आधार पर ही किसी प्रदेश की समीक्षा होनी है तो संभवतः यह कम से कम सी.एच.आर.आई. समाजोन्मुखी सिविल सोसायटी संस्था के लिय उचित आधार नहीं

श्री विनीत कपूर

होगा। मैं इसलिये यह कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश की विभिन्न सामाजिक तथा आपराधिक परिस्थितियों को देखते हुऐ हम दृढ़ता से यह नहीं कह सकते कि समाज की प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देने वाले कानूनों का शत प्रतिशत पालन सभी प्रदेशों में समानता से होता है। जैसे घरेलु हिंसा से जुड़े आपराधिक मामले, दलितों–आदिवासियों के विरूद्ध होने वाली हिंसा के मामले, बच्चों के विरूद्ध हिंसा के मामले ऐसे मामले हैं जिसमें जिन प्रदेशों के अपेक्षाकृत आकड़े कम हैं उनमें वास्तव में इस प्रकार की प्रवृत्ति विद्यमान नहीं है या कम है, यह कहना मुश्किल है। यह एक विचारणीय विषय है कि अन्य क्षेत्रों में महिलाओं, दलितों व बच्चों के समस्त विकास सूचक कम बताने वाले राज्य किस प्रकार अपने को अपराध के आंकड़ों के प्रदर्शन में बेहतर बता पाते हैं। इस पर पुलिस कार्यप्रणाली, कार्यसंस्कृति तथा अपराध दर्ज करने के प्रति दृष्टिकोणों तथा पूर्वाग्रहों के मूल्यांकन के संबंध में स्तरीय रिसर्च की आवश्यकता है।

हमने पिछले दिनों आपका एक लेख पढ़ा था जिसमें आपने थानों को बेहतर बनाने के बारे में कहा था, क्या आप इस पर और अधिक जानकारी देंगे?

उस लेख द्वारा मैंने यह कहा था कि आम आदमी का पुलिस से वास्ता थानों से ही शुरू होता है और यह आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसलिए इसकी उन्नति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। पुलिस थाने से ही अधिकतर अपराध की रोकथाम, अपराध अनुसंधान, सूचना संग्रहण, कानून व्यवस्था का निष्पादन तथा नगरीय व ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा की वृहत्तर ज़िम्मेदारियों का निर्वहन होता है।

(शेष पृष्ट २ पर)

क्या आपके थाने में विशाखा निर्देशों का पालन होता है?

महिलाएं आज भी कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। वे भद्दी टिप्पणी, असहजता पुर्ण घूरे जाने तथा कई बार शारीरिक स्पर्श जैसी हरकतों का शिकार होती हैं। यह न केवल उनके मौलिक अधिकारों का हनन है बल्कि उस समाज के मुंह पर भी दाग़ है जो सभ्य और प्रजातांत्रिक होने का दावा करता है।

कई साल पहले कुछ संस्थाओं ने 'विशाखा' के नाम से उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने संबंधी दिशा–निर्देश जारी करने का निवेदन किया। इस बात का गहरा असर लेते हुए अदालत ने कहा कि जेन्डर समानता में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा तथा गरिमा के साथ काम करने का अधिकार जोकि सर्वत्र मान्य बुनियादी मानव अधिकार है, भी शामिल हैं। इसने कुछ दिशा–निर्देश जारी किये जिसका पालन करना कामकाजी महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक था।

ये दिशा–निर्देश नीचे प्रस्तुत किये जा रहे हैं, क्या आपके थाने में इनका अनुसरण हो रहा है?

एक नियोजक या दूसरे ज़िम्मेदार व्यक्ति या संस्थान के लिए यह आवश्यक है कि वह महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेः

1. नियोजक का कर्त्तव्य – नियोजक या दूसरे ज़िम्मेदार व्यक्ति या संस्थान की ज़िम्मेदारी होगी कि वह यौन उत्पीड़न संबंधित सभी कार्यों को रोके, हटायें और इसे सुलझाने, समझौता कराने तथा अभियोजन की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए आवश्यक क़दम उठायें।
2. परिभाषा–इस प्रयोजन के लिए यौन उत्पीड़न का अर्थ है ऐसा अप्रिय यौन संबंधी बर्ताव (प्रत्यक्षत या अनुमानित) जैसेः

क) शारीरिक संपर्क और बढ़ोतरी
ख) यौन संबंध की मांग या निवेदन करना
ग) यौन संबंधित टिप्पणी करना
घ) अश्लील साहित्य दिखाना
ड़) यौन प्रकृति की कोई भी दूसरी अप्रिय कही, अनकही बात या हरकत। जहां इनमें से किसी भी प्रकार की हरकत से उन परिस्थितियों में ग्रस्त पीड़िता को यह डर हो कि इससे उसे नौकरी या काम में अपमान सहना होगा या फिर उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को हानि पहुंचेगी चाहे वह किसी सरकारी, गैर सरकारी संस्था, निजी या लोक उद्यम में काम करती हो। फिर वह मासिक वेतन पाती हो, मानदेय पाती हो या स्वेच्छा से काम करती हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर इस बात को भेदकारी माना जाएगा कि महिला को इस बारे में विरोध करने पर इस बात का खतरा हो कि इससे उसे भर्ती या पदोन्नति में नुकसान होगा या फिर उसके काम के वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर पीडिता ने उस कृत का विरोध किया तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

3. निवारक कार्य– सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कार्य स्थल मालिकों और प्रभारियों को वहां यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। किसी पुर्वाग्रह के बगैर इस दायित्व के निर्वाह के लिए निम्नलिखित सामान्य कार्य करने चाहिएः

क) कार्यस्थल पर, ऊपर परिभाषित यौन उत्पीड़न पर रोक की सूचना स्पष्ट रूप से बोर्ड पर लिख कर, प्रकाशन द्वारा या किसी और उचित तरीके से दी जानी चाहिए।

ख) सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र निकाय के नियम–विनियम में यौन उत्पीड़न से संबंधित नियमों और दोषी के लिए दण्ड का उल्लेख भी होना चाहिए।

ग) निजी मालिकों को चाहिए कि उपरोक्त मनाही को इंडस्ट्रीयल इंम्पलायमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डस) एक्ट 1946 में शामिल कर लें।

घ) इस बात को अधिक सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्य–स्थिति, अवकाश, स्वास्थ्य और सफ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए और किसी भी महिला कर्मचारी को उचित रूप से ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि वह अपने कार्य में सुविधाहीन है।

4. आपराधिक कार्यवाही – अगर किसी कृत से भारतीय दण्ड संहिता या किसी और कानून के तहत अपराध होता है तो मालिक को इसकी शिकायत उचित अधिकारी के पास करनी चाहिए।

   इस बात को खास तौर से सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों और गवाहों को यौन उत्पीड़न का केस चलाने के कारण किसी तरह सताया न जाए। पीड़िता को उसके या अपराधकर्ता के ट्रांसफर का विकल्प दिया जाना चाहिए।

5. अनुशासनिक कार्यवाही – अगर यह हरकत सर्विस नियमावली के अंतर्गत 'काम में दुराचार' बन जाती है तो मालिक को चाहिए कि संबंधित नियमों के अनुसार वह उसके खिलाफ़ उचित अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करे।

6. शिकायत व्यवस्था – अगर शिकायत से किसी अपराध या सेवा नियमों के उल्लंघन का पता न भी चलता हो तो भी मालिकों द्वारा उनके संगठन में उचित शिकायत व्यव्स्था स्थापित की जानी चाहिए ताकि पीड़ित शिकायत कर सके। इस व्यवस्था द्वारा शिकायत के निपटारे का समयबद्ध तरीके से इंतज़ाम भी होना चाहिए।

7. शिकायत समिति – ऊपर उल्लेखित शिकायत व्यवस्था के उचित कार्यान्वयन के लिए अगर आवश्यक हो तो एक शिकायत समिति, विशेष सलाहकार, दूसरी सहायक सेवा जिसमें गोपनीयता का संभरण भी शामिल है उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

   शिकायत समिति का संचालन किसी महिला द्वारा होना चाहिए और कम से कम इसके सदस्यों की आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। साथ ही, वरिष्ठ स्तर पर अनुचित दबाव को रोकने के लिए शिकायत समिति में तीसरी पार्टी को भी शामिल करना चाहिए जोकि कोई गैर सरकारी संस्था या कोई ऐसी निकाय हो सकती है जो यौन उत्पीड़न के मुद्दों से अवगत हो।

   शिकायत समितियों को एक वार्षिक रिपोर्ट बनाकर जिसमें उनके पास आई शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा होना चाहिए संबंधित सरकारी विभाग में भेजना चाहिए।

   मालिकों और संचालकों को शिकायत समिति की रिपोर्ट के अलावा इन दिशा–निर्देशों के पालन की जानकारी की रिपोर्ट भी संबंधित सरकारी विभाग को देनी होगी।

8. कर्मचारी द्वारा पहल – कर्मचारियों को उनकी बैठक और दूसरी जनसभा में यौन उत्पीड़न संबंधी मुद्दों को उठाने की आज्ञा होनी चाहिए और मालिक–कर्मचारी बैठक में इस पर स्वीकारात्मक रूप से चर्चा होनी चाहिए।
9. जागरूकता–महिला कर्मचारियों को इस बारे में जागरूक करने के लिए संबंधित दिशा–निर्देशों की विशिष्ट जानकारी (और जब इस विषय पर उचित कानून बन जाए) उचित तरीके से दी जानी चाहिए।
10. तीसरी पार्टी द्वारा उत्पीड़न – जहां यौन उत्पीड़न किसी बाहरी या तीसरी पार्टी द्वारा किया गया हो, मालिक या संचालक को पीड़िता की सहायता और बचाव के लिए सभी उचित आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
11. केन्द्र और राज्य सरकारों से निवेदन है कि वे इसके बचाव के लिए उचित कदम उठायें जिसमें इस पर कानून बनाना भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस आदेश द्वारा दिये जा रहे दिशा निर्देशों का पालन निजी क्षेत्र के मालिकों द्वारा भी किया जा रहा है।
12. इन दिशा–निर्देशों का मानव अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1993 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों पर कोई प्रतिकुल असर नहीं पड़ेगा।

कामकाजी महिलाओं के जेन्डर समानता के अधिकारों के संरक्षण और प्रचलन के लिए उपरोक्त दिशा–निर्देशों का सभी कार्यस्थलों पर सख़्ती से पालन होना चाहिए ।

– नवाज़ कोतवाल

...पृष्ट १ का शेष

कई प्रदेशों में कुल मैदानी बल जो थानों में पदस्थ है वह संपूर्ण प्रदेश के बल का 40 से 50 प्रतिशत या कई स्थानों में इससे अधिक होता है। यह आंकड़ा बहुत सकारात्मक नहीं है। क्योंकि प्रजातंत्र में नागरिक पुलिस व्यवस्था का अधिकतम कार्य थाने में पदस्थ पुलिस तंत्र द्वारा निष्पादित होता है। निश्चित ही थाना इस व्यवस्था में आपराधिक न्यायप्रणाली में प्राथमिक भूमिका निभाता है। लेकिन पुलिस राज्य का विषय है और अर्ध–सैनिक बल केन्द्र का, इसलिए कई बार थाने के बल तथा थाने की अधोसंरचना के विकास पर एकरूपता से राष्ट्रीय स्तर पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि आम तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर दिया जाता है। थानों की अधोसंरचना के विकास तथा थानों के मानव संसाधन की पूर्ति तथा मानव संसाधन की गुणवत्ता के विकास पर राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारित करने के उपरांत प्रादेशिक स्तर पर इन मानकों के क्रियान्वयन हेतु विशेष महत्व देने की आवश्यकता है।

पुलिस सुधार और जनता के बीच पुलिस की छवि को सुधारना समय की मांग है। इस पर आपके क्या विचार हैं?

यह बहुत आवश्यक है और इस छवि को पुलिस अपने काम के प्रति अधिक जिम्मेदार होकर तथा अपने व्यवसायिक कौशल में सुधार द्वारा बदल सकती है। इसके साथ ही प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखकर आचरण व्यवहार तथा संवाद कौशल पर ध्यान देकर जनता पुलिस संबंधों में बढ़ोतरी लाकर तथा रोज़मर्रा के कार्य में निष्पक्षता का व्यवहार लाकर भी बहुत सी समस्याओं को हल किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रतिबद्धता तथा पुलिस के मूलभूत कार्यों में ज्ञान, कौशल, तथा दक्षता लाकर भी पुलिस अपनी छवि में धनात्मक सुधार ला सकती है।

यौन उत्पीड़न के केसों में पुलिस का दायित्व

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यौरो के 2008 के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार के कुल 21467 केसों में दोषसिद्धी दर केवल 26.6 प्रतिशत था जबकि इनमें से तकरीबन 93 प्रतिशत केसों में पुलिस ने चार्जशीट भी पेश की थी फिर भी केवल एक तिहाई केसों में ही दोषसिद्धी क्यों हुई? इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें सबसे अहम कारण अपर्याप्त सबूत उपलब्ध होना है। यौन प्रताड़ना सम्बन्धित केसों में पीड़िता के बयान और उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट महत्वपुर्ण सबूत होते हैं। लेकिन, डॉक्टरी जांच में क्या करें और क्या न करें का विवरण कहीं पर साफ नहीं है। इसके अलावा ऐसे केसों में पुलिस जांच के समय पुलिस पीड़िता के साथ कैसा व्यवहार करे, क्या पूछे क्या नहीं ऐसा कहीं भी लिखित नहीं है। परिणामस्वरूप, कई बार डॉक्टरी और पुलिस जांच के दौरान पीड़िता को अनावश्यक कष्ट और अपमान का सामना करना पड़ता है। यौन हिंसा के बेतहाशा बढ़ते केसों को देखते हुए और आरोपियों के बच निकलने पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक नियम–पुस्तिका तैयार कर रही है जिसमें उन नियमों का उल्लेख होगा जिसका पालन पुलिस और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधकों को यौन हिंसा पीड़ितों के संदर्भ में करना आवश्यक होगा। ऐसा करने से जांच के बाद अगर पीड़िता अपनी बात से मुकर भी जाए तो गवाही और सबुतों की गुणवत्ता के आधार पर दोषसिद्धी हो सकेगी।

पुलिस को चाहिए कि यौन उत्पीड़न के केसों में अधिक संवेदनशीलता से काम करे और पीड़िता की सहायता के लिए पहले वकील का प्रबंध कराए तभी सवाल जवाब करे। साथ ही, शारीरिक जांच के समय डॉक्टरों को ऐसे अनावश्यक जांच करने के लिए मना करें जिनकी कोर्ट में मान्यता ही नहीं है। हाल ही में दिल्ली की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमति कामिनी लाऊ ने एक अवयस्क बच्ची के बलात्कार के केस की सुनवाई के दौरान जहां उसका फिंगर टेस्ट किया गया था पुलिस से पूछा कि "आज जहां पीड़िता का आचरण भी बलात्कार के केसों में मायने नहीं रखता है वहां अदालत के समक्ष क्यों बार–बार फिंगर टेस्ट की रिपोर्ट रखी जाती है जबकि इससे केवल यह पता लगता है कि पीड़िता सेक्स की आदी है कि नहीं"?

ऐसे केसों में वर्तमान पुलिस और डॉक्टरी जांच की प्रक्रिया को व्यर्थ बतलाते हुए तथा इस पर पुनः निरीक्षण की आवश्यकता जताते हुए तुरंत इसे रोकने को कहा और स्वास्थ्य निदेशालय, मुख्य गृह सचिव दिल्ली तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को इस संदर्भ में उचित कदम उठाने को कहा है। अदालत ने इस टेस्ट को प्राईवेसी के अधिकार के विरूद्ध बतलाते हुए कहा कि "अगर जांच अधिकारी को इस जांच की आवश्यकता लगती है तो भी पीड़िता की मर्जी से तथा अदालत के आदेश से ही यह टेस्ट करवाया जा सकता है अन्यथा नहीं।"

उम्मीद है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाई जाने वाली पुलिस और डॉक्टरों द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों में क्या करें क्या न करें संबंधित नियम पुस्तिका बाकी राज्यों के लिए भी कारगर साबित होगी और इस संदर्भ में विभिन्न अदालतों की टिप्पणी और आदेशों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ऐसे मामलों में अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाएगी।

अगर पुलिस ऐसी पीड़िताओं के साथ उचित व्यवहार करे, उन्हें कुशल वकील दिलवाए तथा उनकी सूरक्षा की ज़िम्मेदारी ले तो निश्चित रूप से वे अपने ब्यान पर कायम रहने में नहीं डरेंगी और इससे दोषसिद्धि दर भी बढ़ेगा।

– ज़ीनत मलिक

हांलाकि, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमन्स फोरम बनाम भारत गणराज्य केस में बलात्कार के मुकदमे से संबंधित कुछ दिशा–निर्देश जारी किये हैं, इनका पालन होता कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे मामलों की जांच में पुलिस, अदालत व वकीलों की भूमिका को निर्देशित किया गया है। इसके अनुसारः–

1. यौन उत्पीड़न के केसों में शिकायतकर्ता को एक कानूनी प्रतिनिधि उपलब्ध कराना चाहिए। यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपराधिक न्याय प्रणाली से परिचित हो। पीड़िता के वकील की भुमिका केवल उसे प्रक्रिया संबंधित जानकारी देने, केस के लिए तैयार करने, थाने और अदालत में सहायता करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे दूसरी एजेंसियों से मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श लेने में मार्गदर्शन करना भी है। यह आवश्यक है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वही व्यक्ति जिसने थाने में शिकायतकर्ता के हित की देखरेख की थी केस के अंत तक उसका साथ दे।
2. पीड़िता को थाने में ही कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि वहां पहुंचने पर वह काफी परेशानी की अवस्था में हो सकती है, इस समय पूछ–ताछ के समय किसी वकील की सहायता बहुत महत्वपूर्ण होगी।
3. पुलिस का दायित्व है कि वह पूछ–ताछ के पहले पीड़िता को इस बात की जानकारी दे कि उसे कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है और पुलिस रिपोर्ट में यह जानकारी देने का उल्लेख होना चाहिए।
4. प्रत्येक थाने में उन पीड़िताओं के लिए जिनका वकील उपलब्ध न हो, ऐसे केसों पर काम करने के इच्छुक वकीलों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए।
5. पुलिस द्वारा कोर्ट में ऐसी अर्जी देने पर तुरंत ही वकील नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़िता से पूछ ताछ में देरी न हो, वकील को इस बात की इजाज़त होगी कि अगर कोर्ट से आज्ञा नहीं भी ली जा सकी है तो वह थाने में पीड़िता के लिए कार्य कर सकेगा।
6. बलात्कार के सभी मुकदमों में जहां तक हो सके पीड़िता को गुमनाम रखा जाएगा।
7. भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 38(1) को ध्यान में रखते हुए आपराधिक क्षति मुआवज़ा बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि बलात्कार पीड़िता अधिकतर वित्तीय कमी से भी ग्रस्त हो जाती हैं उदाहरण के तौर पर कुछ महिलाएं नौकरी करने में डरने लगती हैं।
8. कोर्ट पीड़िता के लिए मुआवज़ा आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद मुआवज़ा बोर्ड के द्वारा तय करेगी। इसे तय करते समय बोर्ड पीड़िता द्वारा भुगते गए मानसिक तनाव, तकलीफ़, सदमा और अगर इस कारण गर्भधारण या बच्चा होता है और इससे आमदनी की क्षति होती है तो उन सब बातों का ध्यान रखेगी।

आपके विचार

महोदया,

लोक पुलिस के पिछले अंक में 'हथकड़ी पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश' लेख पढ़कर इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली। हांलाकि हथकड़ी न लगाने के बारे में मोटे तौर पर जानकारी हमें पहले भी थी। लेकिन आप चाहे सहमत न भी हों फिर भी अगर हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे तो आरोपी के भागने का खतरा लगातार बना रहता है। अगर वे भाग जाते हैं तो उसकी जवाबदेही बहुत कठिन होती है। इसलिए हम ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भी कई बार हथकड़ी लगा देते हैं।

सब–इंस्पेक्टर
हिमाचल प्रदेश पुलिस

नमस्कार जी,

मैंने लोक पुलिस पत्रिका थाना कोतवाली में देखी और वहीं श्रीमति अरूणा बहुगुणा जी का साक्षात्कार भी पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे राज्य के पुलिस अधिकारियों का साक्षात्कार भी छापें तो अच्छा रहेगा।

मैं इस पत्रिका को मध्य प्रदेश में आम लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध करता हुं। जैसे मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हुं लेकिन मुझे इसे पढ़कर एफ.आई.आर. न दर्ज करने वालों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कैसी डांट लगाई है इसका पता लगा। अगर अब हमारे थानों में ऐसा होता है तो हम उन्हें इस आदेश का हवाला दे सकते हैं।

मुकेश भट्ट
वार्ड नंबर–32, मोती नगर
जिला–बालाघाट, मध्य प्रदेश

लोक पुलिस के इस अंक में कई लेख हैं। इन्हें पढ़ते हुए आपके मन में कई विचार उभरकर आए होंगे। हो सकता है आपकी राय में हमसे कुछ छूट गया हो या हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष न हो। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। कृप्या अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में छापेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

अपने सुझाव चौथे पेज पर दिये गए पते पर सम्पादक को डाक द्वारा भेजें या ई–मेल करें:
info@humanrightsinitiative.org

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

सफल फीडबैक प्रक्रिया और बीमार पुलिसकर्मी

चंडीगढ़ पुलिस ने अक्टूबर के प्रारम्भ में पी.सी.आर. की निपुणता आंकने के लिए एक 'फीडबैक प्रक्रिया' की स्थापना की थी। इसके एक महीने के भीतर उन्हें करीब 3000 फोन आए हैं जिसमें से 70 प्रतिशत ने पी.सी.आर. के काम से संतुष्टि जताई है। इसके अंतर्गत पुलिस के पास एक सुसज्जित डाटाबेस है जिससे पंजाब के प्रत्येक नागरिक के नाम और फोन नंबर की पहचान की जाती है फिर उस फोन करने वाले के संतुष्टि स्तर को –संतुष्ट, असंतुष्ट, पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई, पुलिस का बर्ताव और टिप्पणी की श्रेणी में बांट दिया जाता है।

डी.एस.पी. (पी.सी.आर) ने बताया है कि इसके अनुसार रिपोर्ट तैयार करके कमज़ोर पहलुओं की जांच के बाद उन्हें सुधारने की कोशिश की जाएगी। इनमें से 80 प्रतिशत लोगों के पास जब दोबारा जांच के लिए फोन किया गया तो उनमें से कई लोग पुलिस के फोन से हैरान हुए, कुछ की शिकायत सुनी गई। कुल 56 प्रतिशत लोग पी.सी.आर. और थाना अधिकारियों के काम से संतुष्ट पाए गए और 4 प्रतिशत इनसे असंतुष्ट पाए गए।

चंडीगढ़ पुलिस की जनता अनुरूप पुलिसिंग की यह एक अच्छी कोशिश है। दूसरे राज्यों को भी जनता का विश्वास जीतकर अपने कार्य निष्पादन के लिए आत्म निरीक्षण प्रक्रियाओं की शुरूआत करनी चाहिए।

एक तरफ जहां चंडीगढ़ पुलिस अपने कार्य निष्पादन से जनता की संतुष्टि आंकने में जुटी है वहीं इनका गिरता स्वास्थ्य इनके काम पर भी दुष्प्रभाव न डाले इस सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

चंडीगढ़ पुलिस की नवीनतम मेडिकल जांच रिपोर्ट के अनुसार समूचे बल के 30 प्रतिशत अधिकारी अस्वस्थ हैं। पिछले 6 महीनों में कांस्टेबल से इंसपेक्टर स्तर के कुल 2010 पुलिस अधिकारियों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया। इसके परिणाम के अनुसार उनमें से 567 अस्वस्थ पाए गये। इनमें से 169 को हाई ब्लड प्रेशर और 203 को हाई कैलोस्ट्रल, उनमें से 100 बेहद मोटापे से ग्रस्त हैं और 96 को डायबिटीज़ है।

सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि निचले स्तर के अधिकारी जैसे कांस्टेबल और हेड–कांस्टेबलों में सबसे अधिक बीमारियां पायी गईं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अस्थिर जीवन–शैली, अत्यधिक दबाव और अस्वस्थ खान पान की आदत इन सब बीमारियों का कारण हैं।

एस.एस.पी. ने बताया कि विभाग को निश्चित रूप से पुलिस बल के स्वास्थ्य–स्तर को सुधारने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में कुछ दिनों में विभाग द्वारा खेल सप्ताह भी आयोजित किया जाएगा। इनकी परेड भी शुरू कर दी गई है और इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य ही आएगा।

पुलिसकर्मियों के गिरते हुए स्वास्थ्य को रोकने के लिए जहां नियमित व्यायाम और योग की आवश्यकता है वहीं उनकी कार्य–शैली और साप्ताहिक अवकाश का तुरंत प्रावधान होना चाहिए न केवल पंजाब में बल्कि प्रत्येक राज्य में क्योंकि यह तो केवल एक स्थानीय पुलिस की मेडिकल रिपोर्ट है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मेडिकल जांच को करवाया जाए तो नतीजे समान ही होंगे।

(सौजन्यः इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम क्रमशः 11 और 19 नवंबर 2010)

राज्य पुलिस सुधार न करने का कारण बताएं

महाराष्ट्र के सेवानिवृत डी.जी.पी. श्री एस.एस.विर्क को अपना पद संभाले अभी कुछ महीने ही बीते थे कि सेवानिवृती के कारण उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हांलाकि उन्होंने राज्य सरकार और सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से प्रकाश सिंह दिशा–निर्देश के अनुसार दो साल तक सेवा में बने रहने के लिए आवेदन भी डाला था लेकिन उनकी अर्ज़ी नहीं सुनी गई। फिर उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अर्जी डाली जिसे सेवानिवृती के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा।

लेकिन इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को सितंबर 2006 में प्रकाश सिंह केस में अपने फैसले के तहत पुलिस सुधार के 6 निर्देशों का पालन न करने का कारण बताने का आदेश दिया जिसमें पुलिस प्रमुखों के दो साल के कार्यकाल की निश्चितता भी शामिल थी। न्यायालय ने इन राज्यों को ऐसा न करने के कारणों और शपथपत्र के साथ 6 दिसंबर को जवाब मांगा था। प्रकाश सिंह केस में दिए गए निर्देशों की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायाधीश के.टी.थोमस समिति ने इन चार राज्यों को इनकी प्रगति के लिए टेस्ट केस के रूप में लिया है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "हमें इस बात का अफसोस है कि अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों में से अधिकतर का पालन नहीं किया गया है। थोमस समिति ने एक चार्ट दिया है जिसमें अनुपालन न करना, आंशिक अनुपालन करना, अत्यल्प अनुपालन करना और केवल कागज़ी अनुपालन किये जाने के बारे में बताया गया है।"

इस केस की सुनवाई के दौरान 6 दिसम्बर को चारों राज्यों के मुख्य सचिव न्यायालय में मौजूद थे जब इसने कहा कि 'हम अपने फैसलों को अदालत के कमरे में पड़ा हुआ नहीं देखना चाहते हैं' बल्कि पुलिस सुधार पर दिय गए अपने फैसले को पूरे तौर पर लागु किया जाना और इसके तहत दिए गए निर्देशों का समान रूप से कार्यान्वयन चाहते हैं।

राज्यों को इन्हें योजनाबद्ध तरीके से लागू करने में कितना समय लगेगा यह बताने के लिए 4 सप्ताह का समय देते हुए अदालत ने कहा 'हम केवल पुलिस जांच और कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करने के लिए समय सारणी चाहते हैं।'

इसके अलावा अधिकतर राज्यों को अपने पुलिस प्रमुखों और दूसरे उच्च पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा करवाने को कहा था लेकिन आयोग ने ऐसा करने से यह कहकर मना कर दिया था कि पुलिस नियुक्तियां करना उसके अधिदेश के बाहर है। अब अदालत ने सोलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुबरमणियम को कहा है कि वे सरकार से इस बारे में निर्देश लें। साथ ही, अदालत ने विभिन्न राज्यों द्वारा अपने फैसले को नाकाम करने की कोशिश करने वाले कानूनों के बनाऐ जाने पर भी असर लिया है। इसने यह भी कहा कि एक बार वह अपने दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन में कामयाब हो जाए तब सुधार को बड़े पैमाने पर लागू करने पर ध्यान देगी। इस केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2011 को होगी

(सौजन्यः ट्रिब्यून इंडिया डॉट कॉम 8 नवंबर तथा 6 दिसंबर 2010 जीमेल डॉट कॉम)

वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को थाने में न बुलाया जाए

गुड़गांव के कमिश्नर ने पिछले दिनों दो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित 'चाईल्ड–लाईन से दोस्ती' अभियान की शुरूआत करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को थाने में न बुलायें चाहे वे शिकायतकर्ता, आरोपी या फिर गवाह ही क्यों न हों। साथ ही उन्होंने यह भी कि महिलाओं का बयान केवल महिला अधिकारियों द्वारा ही दर्ज किया जाए।

उन्होंने थाना प्रभारियों को भी हिदायत दी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिनस्थ अधिकारी महिलाओं और बुजुर्गों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। बाल यौन हिंसा के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र ऐसे केसों में 'जीरो टोलरेंस' का रवैया अपनाते हुए उन्होंने पीड़ित बच्चों उनके अभिभावकों और स्कूलों से अपील कि की वे ऐसे केसों को दबाने के बजाय इनकी शिकायत दर्ज करायें ताकि इसे रोकने में मदद मिल सके।

हरियाणा के ए.डी.जे.पी. और गुड़गांव कमिशनर का अपने अधिनस्थ अधिकारियों को उनके उचित कर्तव्यों की याद दिलाना पुलिस के अच्छे व्यवहार पालन के लिए एक आवश्यक क़दम है।

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत किसी भी महिला या 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। अगर आवश्यक हो तो यह पूछताछ उनके घर पर ही की जा सकती है।
- 2008 में इसकी उपधारा में संशोधन किया गया है और पुलिस द्वारा दर्ज गवाही का आडियो–वीडियो रिकॉर्ड भी होना चाहिए।
- अगर पुलिस किसी को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है तो यह बुलावा लिखित रूप में भेजा जाना चाहिए।

(सौजन्यः ट्रिब्यून इंडिया डॉट कॉम 9 नवंबर 2010)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादकः ज़ीनत मलिक, बी–११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली:११००१७, भारत
टेलीः +९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्सः +९१ ११ २६८६ ४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org